आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0—05/2021

अंचल अधिकारी, परबत्ता..............................वादी

बनाम्

माहीरूल हक.......................................प्रतिवादी

आदेश

6/10/21

प्रस्तुत वाद का अभिलेख अंचल अधिकारी, परबत्ता के पत्रांक—2123 दिनांक—31.12.2020 के आलोक में संधारित किया गया। प्रस्तुत वाद में प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्नवत है:—

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा वी0क0धु0	ज0सं0	जमाबंदी रैयत
बैसा	167	249	4—1—3	635 एल0आर0 डी0	मो0 माहीरूल हक पे0—मो0 मोजाहिरूल हक सा0—पिपरालतीफ
		292	0—17—0		
	170	179	4—8'1		

आवेदक ने अपने प्रस्ताव में उल्लिखित किये हैं कि प्रश्गनत खाता सं0 167 से सन्निहित भूमि की प्रकृति खतियान में "परती कदीम" है तथा खाता सं0 170 में सन्निहित भूमि की प्रकृति खतियान के अनुसार "डगर" है। परन्तु इसके बावजूद प्रश्नगत भूमि के लिए जमाबंदी सं0 635 एल0आर0डी0 विपक्षी के नाम से गठित है। जो विधि के प्रतिकूल है। अतः अंचल अधिकारी, परबत्ता ने मौजा वैसा में गठित ,जमाबंदी सं0 635 एल0आर0डी0 को रद्द करने की अनुशंसा की है। आवेदक ने अपने प्रस्ताव के साथ निम्नांकित दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किये है:—

1. क्रमिक खतियान की प्रति।
2. जमाबंदी सं0 635 एल0आर0डी0 के पंजी-II की प्रति।

विपक्षी प्रस्तुत वाद में उपस्थित होकर अपना आपत्ति पत्र दाखिल किये। जिसमें उन्होंने कथन किया है कि प्रश्नगत भूमि अब्दुल गनी पे0—जमीर बख्स को भूतपूर्व जमीन्दार से बंदोवस्ती द्वारा प्राप्त हुआ तथा भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा समर्पित रिटर्न के आधार पर अब्दुल गनी के नाम से जमाबंदी सं0 635

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प[illegible] गई कार्रवाई बारे में टिप्पण तारीख के साथ
1	2	3

गठित हुआ। विपक्षी का आगे कथन है कि उन्होंने अब्दुल गनी के वारिसान बीबी सुकैना खातुन से निबंधित केवाला दिनांक–05.08.1971 द्वारा प्रश्नगत भूमि क्रय कर अपने नाम से नामान्तरण कराए तथा विपक्षी के नाम से जमाबंदी सं0 635 गठित करवाये। उपरोक्त आधार पर विपक्षी ने प्रस्तुत वाद को खारिज करने की प्रार्थना किये है। विपक्षी ने अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये है :–

1. जमाबंदी सं0 635 के अन्तर्गत निर्गत रशीद की प्रति।
2. केवाला दिनांक 05.08.1971 की प्रति।
3. भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा निर्गत रशीद की प्रति।

प्रस्तुत वाद में हाकिम बैठा पे0–स्व0 टेटो बैठा सा0–बोरने हस्तक्षेपक बनाने हेतु एक आवेदन दिनांक 10.08.21 को दिये जिसमे उन्होंने कथन किया है कि प्रशगनत भूमि के संबंध में एम0जे0सी0 सं0 6752/2020 माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किया गया। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 19.03.21 को आदेश पारित कर निदेशित किये कि संबंधित न्यायालय में अपना पक्ष रखें। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एम0जे0सी0 सं0 6752/2020 में पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद में हाकिम बैठा को जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया के समक्ष अपनी शिकायत रखने का निदेश दिया जा चुका हैं। अतः प्रस्तुत वाद में प्रस्तावित हस्तक्षेपक को पक्षकार बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रस्तावित हस्तक्षेपक के आवेदन दिनांक–10.08.21 को अस्वीकृत किया गया।

विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता का मंतव्य अभिलेख पर प्राप्त हुआ। उन्होंने आवेदक के कथन का समर्थन करते हुए जमाबंदी सं0 635 को रद्द करने का मंतव्य दिये हैं।

उभय पक्षों के अभिकथन एवं अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को विवेचन निम्न प्रकार है :–

1. अभिलेख पर उपलब्ध क्रमिक खतियान के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रशगनत खाता 167 खेसरा 249 एवं 292 का खितयान में प्रकृति परती जदीद तथा खाता 170 की प्रकृति **डगर** है। अतः स्पष्ट है कि प्रशगनत दोनों खेसरा की भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है।
2. जमाबंदी सं0 635 एल0आर0डी0 के पंजी–II के अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह दोनों जमाबंदी मौलिक जमाबंदी नहीं है। इसलिये स्पष्टतः रिटर्न आधारित जमाबंदी नहीं अपितु बाद में जोड़ी गयी जमाबंदी है।
3. विपक्षी की ओर से दाखिल केवाला दिनांक–05.08.1971 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह केवाला बीबी सुकैना खातुन ने विपक्षी के पक्ष में प्रश्नगत भूमि

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

के संबंध में निष्पादित किया। परन्तु इस बिन्दु पर यह उल्लिखित करना सुसंगत है कि विपक्षी ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रश्नगत भूमि विपक्षी के विक्रेता को स्वामित्व कैसे प्राप्त हुआ।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी गैरमजरूआ खाता परती जदीद एवं भूमि का अवैध ढंग से केवाला प्राप्त कर विधि के प्रतिकूल जमाबंदी सं0 635 एल0आर0डी0 का गठन करवा लिये।

अतः प्रस्तुत वाद में बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम की धारा 9 के तहत मौजा–बैसा में गठित जामबंदी सं0 635 एल0आर0डी0 को खंडित किया जाता है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, परबत्ता को अनुपालनार्थ भेंजे।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

ज्ञा० सं० 588 दिनांक 13.11.21

प्रतिलिपि- अंचल अधिकारी, परबत्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- N.I.C. खगड़िया को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

13/11/21

प्रभारी पदाधिकारी
जिला राजस्व शाखा
खगड़िया।